न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-108 RAAJodhpur2022-37RTA223 Aleekhan ors Vs Yusuf etc

01. अली खां पुत्र आदम खां
02. मुसे खां पुत्र आदम खां
जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम जाम्बा, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. युसुफ पुत्र कायम खां
2. फतेह पुत्र कायम खां
3. सलमान पुत्र कायम खां
जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम जाम्बा, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।

रेस्पो.

4. गुलाम रसुल पुत्र आमदीन
5. नयालदीन पुत्र आमदीन
6. भागे खां पुत्र आमदीन
जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम जाम्बा, तहसील बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।
7. सचिव ग्राम पंचायत नारायणपुरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर, वर्तमान फलोदी।

--- प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री सहायक कलेक्टर बाप द्वारा दिनांक 11 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 52/2018 युसुफ व अन्य बनाम गुलाम रसुल इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री पूनाराम विश्नाई, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 16 जनवरी 2025

अपीलांट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ~~कोलायट~~ जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 52/2018 युसुफ व अन्य बनाम गुलाम रसुल इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 मार्च 2022 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील करने की अनुमति बाबत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 367 रकबा 52 बीघा 15 बिस्वा ग्राम गणेशनगर के संबंध में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 मई 2018 को लोक अदालत कैम्प में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है, जबकि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के बाद अपीलांट्स खसरा नं. 367/1 के खातेदार दर्ज हैं। विचारण न्यायालय द्वार तहसीलदार को बिना मौके पर भेजे विभाजन प्रस्ताव को कैम्प में ही मौके से विपरीत बनाये जाकर विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने में भारी भूल की है। राजस्व लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी समझाईश से राजीनामा के द्वारा किसी प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जा सकता है। इस प्रकरण में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को बिना पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियम 18 से 21 की पालना के विपरीत तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स के विरुद्ध पारित की है, जिससें अपीलांट्स के हितों पर कुठाराघात हुआ है। इसलिए अपीलांट्स हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। रेस्पोडेंट्स द्वारा दिनांक 09.03.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को मौके से बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने पर अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त की, जिसे पढकर सुनाये जाने पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट ने जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बाबत अपील करने अनुमति स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 11 मई 2018 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नं. 367/1 रकबा 6.1917 हैक्टेयर के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एंव डिक्री पारित किये गये है। लिहाजा अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति करने अपील स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। अपीलांट्स को सुने बिना उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित किये जाने से उन्हे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण द्वारा लोक अदालत 2018 केम्प नारायणपुरा मे अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना वाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तथा तहसीलदार बाप द्वारा लोक अदालत केम्प में ही **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की पालना सुनिश्चित किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सूचना/सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ~~कोलायट~~ बाप द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 52/2018 युसुफ व अन्य बनाम गुलाम रसुल इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार बाप से विधिवत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुए दोनो पक्षो की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् की सुनवाई के बाद दावे में 03 माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर